[2021] 11 एस. सी. आर 198

हामिद अली खान (डी) एलआरएस के माध्यम से। & एएनआर।

वी.

यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

(2012 की सिविल अपील सं. 1267)

नवंबर 23,2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

एसएस। 5 ए और 17 (4)-तात्कालिकता के मामले में विशेष शक्तियाँ

आपत्तियों की सुनवाई के साथ वितरण का आह्वान यू/एस। 5 ए-तथ्यों पर, आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करना-यू/एस के तहत शक्तियों का आह्वान। 4 और 17 (4) अपीलार्थी की संपत्ति के संबंध में-भूमि मालिक

अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा लिखित याचिका

डिवीजन बेंच द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के साथ कोई तात्कालिकता नहीं जुड़ी थी

तत्काल जो आह्वान करने के लिए आधार का गठन करता है

तात्कालिकता खंड-अधिसूचना। 17 (4) भेजे गए प्रस्ताव के दो साल से अधिक समय के बाद जारी किया गया-घोषणा यू/एस। 6 लगभग एक जारी किया गया अधिसूचना यू/एस जारी होने के एक साल बाद। 4 - योजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिस देरी के साथ एस। 6 घोषणा जारी की गई थी, कब्जा ले लिया गया था और उस सामग्री की प्रकृति जिसके आधार पर प्रस्ताव को संसाधित किया गया था, अपीलकर्ताओं ने

यह तर्क देते हुए कि अधिसूचना यू/एस। 17 (4) यू/एस जांच के साथ वितरण। 5 ए उचित नहीं था-इस बीच, निष्पक्षता का अधिकार

विवादित अधिसूचनाएँ और उसी के आधार पर कार्यवाही रद्द की गई और संपत्ति अपीलार्थी को वापस की जाए।

एस. 5 ए-संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति की आपत्तियों की सुनवाई-आयोजितः एस. 5 ए व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देता है।

उस संपत्ति में रुचि रखने वाला जो उसकी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण को रोकने के लिए एकमात्र वैधानिक सुरक्षा थी-किसी व्यक्ति को अधिग्रहण के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए दिए गए अमूल्य

अधिकार को अन्यायपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए-प्राधिकरण को अपनी संपत्ति को लागू करना चाहिए।

198 हामिद अली खान (डी) एलआरएस के माध्यम से। & एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

उसके समक्ष प्रासंगिक सामग्री का ध्यान रखें और उसकी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए-केवल इसलिए कि अधिग्रहण का उद्देश्य एक सार्वजनिक उद्देश्य पाया जाता है, प्राधिकरण का कर्तव्य समाप्त नहीं होता है-अधिकारियों को जीवित रहना चाहिए और नागरिकों के पक्ष में बनाए गए बहुमूल्य अधिकार के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो कि केवल एक खाली अनुष्ठान नहीं है-इसके अलावा, धारा 17 (4) के तहत शक्ति का विवेकाधीन होने के कारण, उचित सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए-यदि प्रासंगिक सामग्री कितनी भी कम हो और प्राधिकरण ने बाहरी विचारों से निर्देशित हुए बिना अपना दिमाग लगाया है और निर्णय लिया है, तो अदालत एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी।

एस. 17 (4) – तात्कालिकता के मामले में विशेष शक्तियाँ -

आयोजित किया गयाः जब सत्ता के आह्वान को चुनौती दी जाती है

यू / एस. 17 (4) रिट आवेदक खाली और गंजे दावों पर सफल नहीं हो सकता है-विशेष रूप से राज्य के अनन्य ज्ञान के भीतर तथ्य को एस में सिद्धांत के आधार पर अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए। 106 साक्ष्य अधिनियम का अस्तित्व असाधारण

एस के आह्वान को उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ। 17 (4) एक चुनौती के मद्देनजर स्थापित किया जाना चाहिए-सभी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की सराहना पर अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना खुला है कि यू/के अधिकार का सहारा लेने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ। धारा 17 (4) जिसे वास्तव में सामान्य नियम के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि संपत्ति का अधिग्रहण व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करने के बाद किया जाता है। यह प्रदर्शित करने के लिए प्रतिकूल रूप से प्रभावित कि अधिग्रहण अनुचित था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 प्राधिकारी को एक व्यक्तिपरक राय बनाने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि राय सनकी या मनमौजी हो सकती है। प्राधिकरण के समक्ष सामग्री होनी चाहिए। सामग्री प्रासंगिक होनी चाहिए। प्राधिकारी को सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। यह इस आवश्यकता के अलावा है कि कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। निस्संदेह इसका उद्देश्य सार्वजनिक होना चाहिए। उद्देश्य। लेकिन केवल इसलिए कि अधिग्रहण का उद्देश्य एक सार्वजनिक उद्देश्य पाया जाता है, प्राधिकरण का कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। उसे संतुष्ट होना चाहिए कि वास्तविक तात्कालिकता ऐसी है कि अमूल्य अधिकार किसी व्यक्ति को उसे हवा देने के लिए दिया जाता है।

अधिग्रहण के खिलाफ शिकायतें अनुचित नहीं हैं

बुझा दिया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5ए संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देती है जो [2021] 11 एस. सी. आर. थी।

अनिवार्य अधिग्रहण को रोकने के लिए केवल वैधानिक सुरक्षा

प्राधिकरण ने बाहरी विचारों द्वारा निर्देशित हुए बिना अपने दिमाग को लागू किया है और निर्णय लिया है, फिर अदालत एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी। किसी भी अन्य निर्णय की तरह अंतिम विश्लेषण में भी परस्पर विरोधी हितों का संतुलन अपरिहार्य है। अधिकारियों को जीवित रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए नागरिकों के पक्ष में बनाया गया बहुमूल्य अधिकार जो केवल एक खाली अनुष्ठान नहीं है। [पैरा 22] [227-बी-एफ]

1.2 यह फिर से सच है कि इस न्यायालय के निर्णय परस्पर विरोधी संकेत देते प्रतीत होते हैं। हालांकि, एक निश्चित तत्व है

मौलिक सिद्धांतों पर सर्वसम्मति। द्विभाजन को अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर हल किया जाना चाहिए। जहां तक संबंध का संबंध है, उस तरीके से संबंधित सिद्धांत जिसमें धारा 17 (4) के तहत एक अधिसूचना को चुनौती दी जानी चाहिए, जब धारा के तहत शक्ति के आह्वान को चुनौती दी जाती है, तो सबूत के बोझ के निर्वहन के मामले में संपर्क किया जाना चाहिए।

17 (4) रिट आवेदक खाली और गंजे दावों पर सफल नहीं हो सकता है। वे तथ्य जो विशेष रूप से राज्य के अनन्य ज्ञान के भीतर हैं, उन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत के आधार पर अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए। धारा 17 (4) के आह्वान को उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व एक चुनौती के मद्देनजर स्थापित किया जाना चाहिए। गावटे के मामले में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई वास्तविक अवधारणा कुल साक्ष्य सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में, सभी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की सराहना करने पर अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना खुला है कि धारा 17 (4) के तहत शक्ति का सहारा लेने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे वास्तव में जनरल के लिए एक अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

नियम है कि संपत्ति का अधिग्रहण प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने का अवसर देने के बाद किया जाता है कि अधिग्रहण अनुचित था। [पैरा 23] [227-एफ-एच; 228-ए-सी]

1.3 धारा 17 (4) और यहां तक कि धारा 6 की घोषणा के तहत विवादित अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि विचाराधीन भूमि एलआरएस के माध्यम से हामिद अली खान (डी) के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक होने के रूप में पढ़ा जाता है।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण या कालिंदी कुंज आवासीय/वाणिज्यिक (पूरक) के लिए। यह आगे पढ़ा जाता है कि जैसा कि राज्यपाल की महान आवश्यकता के बारे में आश्वस्त था

भूमि और अधिनियम की धारा 17 (1) का प्रावधान लागू होने के कारण और आवश्यकता को देखते हुए, धारा 5 ए के तहत जांच इस आधार पर लागू नहीं की गई थी कि 'देरी की संभावना को छोड़ दिया जा सकता है'। यह भी कहा गया है कि कालिंदी कुंज आवासीय/वाणिज्यिक योजना के लिए भूमि की आवश्यकता है। संशोधित रूपरेखा योजना के अवलोकन से पता चलता है कि यह योजना एक आवासीय सह वाणिज्यिक योजना थी। इसमें उद्यान, सामुदायिक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, डाकघर, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र और शैक्षिक केंद्र शामिल थे। जिसके लिए भूमि आरक्षित की गई थी

आवासीय क्षेत्र को योजना के क्षेत्र के 38.57% के रूप में दिखाया गया है। योजना के वाणिज्यिक भाग में शामिल होना था योजना के कुल क्षेत्र का 4.9 प्रतिशत। यह योजना शुद्ध आवासीय योजना नहीं है। दूसरा, केवल एक मामला जो उत्तरदाताओं के पास आगे है, वह यह है कि एक योजना के तहत 5 प्रतिशत भूखंड भूमिहीनों के लिए आरक्षित हैं। शुरू में, विचाराधीन भूमि का प्रस्ताव नहीं था

प्राप्त करने के लिए। अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि 52 और विषम हेक्टेयर निर्धारित की गई थी। [पैरा 33] [233-डी-जी, एच]

1.4 से दिनांकित 29.3.2006 संचार का अवलोकन

दूसरे प्रत्यर्थी प्राधिकरण से पता चलता है कि उसके अनुसार, सर्वेक्षण संख्या। 880 और 893 का उपयोग पशु बाजार रखने के लिए किया जा रहा था और इसलिए भूमि की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह पाया गया कि सर्वेक्षण में 13 दुकानों का निर्माण किया गया था और इन सर्वेक्षण में भूमि को आवासीय घर के लिए बेचा गया था। योजना क्षेत्र से सटे होने के कारण, इन भूमि को एक संशोधित प्रस्ताव तैयार करने पर आवश्यकता के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। हालाँकि, तीसरे उत्तरदाता द्वारा जारी दिनांक 06.10.2006 संचार में उन्होंने स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता का उल्लेख किया है और इसलिए आवास क्षेत्र में जानवरों का पशु बाजार उचित नहीं हो सकता है। 10.10.2000 दिनांकित संचार में फिर से वही स्थिति दोहराई गई है।

साथ ही। अपीलकर्ताओं ने मुख्य सचिव को 08.12.2006 पर एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि संपत्ति को आवासीय/वाणिज्यिक योजना के लिए नहीं लिया जाए। इसमें, यह अन्य बातों के साथ कहा गया है कि पशु बाजार 52.361 हेक्टेयर की अधिग्रहित भूमि के एक कोने में स्थित है। अपीलार्थी एक अलग चारदीवारी के निर्माण के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताते हैं।

यह

[2021] 11 एस. सी. आर. को बताया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। धारा 6 के तहत घोषणा केवल 11.4.2008 से एक वर्ष की समाप्ति की पूर्व संध्या पर जारी की गई थी। फाइल में इंगित तात्कालिकता यह है कि धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने के प्रतिबंध को 11.4.2008 से एक वर्ष के बाद समाप्त किया जाए, जिस तारीख को 4/17 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। धारा 4 के तहत अधिसूचना के तुरंत बाद घोषणा जारी करने की तात्कालिकता के बारे में फाइल में कोई संकेत नहीं है। दूसरे शब्दों में, फाइल तुरंत भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता से जुड़ी किसी भी तात्कालिकता को प्रकट नहीं करती है जो तात्कालिकता खंड को लागू करने के लिए आधार का गठन करती है। [पैरा 34-35] [234-A F]

घोषणा केवल अक्टूबर 2005 में की जाती है। प्रतिवादी के अनुसार इस मामले में विचाराधीन सर्वेक्षण संख्याएँ बीच में स्थित हैं। हालाँकि, यह इस आधार पर अधिग्रहित नहीं किया गया है कि उक्त भूमि का उपयोग पशु बाजार के रूप में किया जा रहा था (दिनांक 29.3.2006 का संचार देखें)। अपीलार्थियों का एक निश्चित मामला है कि तुरंत कब्जा करने की शक्ति की उपलब्धता के बावजूद कब्जा ही ले लिया गया था, केवल 6.1.2006 पर। आगे की भूमि लेने का प्रस्ताव पहले नहीं तो मार्च, 2006 में लिया गया था। भूमि अधिग्रहण के लिए दिया गया कारण अपीलार्थियों द्वारा दुकानों का कथित निर्माण और भूमि द्वारा आच्छादित भूमि की निकटता है। विचाराधीन भूमि के साथ पहले अधिग्रहित। दूसरी ओर, तीसरा प्रतिवादी आगे स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता को संदर्भित करता है जो दिनांकित 29.3.2006 के संचार के विपरीत है। [पैरा 36] [234-जी-एच; 235-ए-बी]

1.6 वह सामग्री जिसमें दूसरे उत्तरदाता को संबोधित संचार और तीसरे उत्तरदाता द्वारा संचार शामिल हैं, देखी जाती है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाने वाले सामान्य प्रमाण पत्र/प्रपत्र कि योजना में कोई पूजा स्थल नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन मुद्दा केवल यह है कि क्या धारा 5 ए के तहत जांच करने के लिए सामग्री थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्राधिकरण ने इस पर अपना दिमाग लगाया। यहाँ तक कि अधिसूचना के तहत भी

धारा 17 (4) पहले नहीं तो मार्च, 2006 में भेजे गए प्रस्ताव के दो साल से अधिक समय के बाद जारी की गई। धारा 6 के तहत घोषणा केवल 9.4.2009 पर जारी की गई, केवल दो हमीद अली खान (डी) थ्रू एलआरएस।

& एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

अधिसूचना की तारीख की पहली वर्षगांठ से कुछ दिन पहले धारा 4. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देखा गया है कि किस बात ने अंततः सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित किया, अर्थात् आशंका

कि यदि यह धारा 4 अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसका तात्कालिकता से कोई लेना-देना नहीं था जो बहुत पहले जारी की जा रही धारा 6 की घोषणा में प्रकट होता। इसे पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए। कि यद्यपि धारा 4 (1)/(17) अधिसूचना पहले 52.361 हेक्टेयर के संबंध में 08.10.2004 पर जारी की गई थी, धारा 6 के तहत घोषणा केवल 07.10.2005 पर जारी की गई थी। [पैरा 38] [235-सी-जी]

1.7 अधिनियम की धारा 5 ए के तहत सांविधिक प्राधिकरण से निष्पक्ष सुनवाई करने की उम्मीद है। यह एक अवांछित के बीच खड़ा हो सकता है

संपत्ति अर्जित करने के प्रस्ताव के लिए। संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर उसी प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है। एक अन्य प्रासंगिक पहलू यह तथ्य है कि दूसरे अधिग्रहण का विषय 2 और विषम हेक्टेयर था। जाहिरा तौर पर केवल अपीलार्थी ही थे, जिन्हें सुनवाई देनी थी। योजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिस देरी के साथ धारा 6 की घोषणा जारी की गई थी, कब्जा लिया गया था और उस सामग्री की प्रकृति जिसके आधार पर प्रस्ताव को संसाधित किया गया था, अपीलकर्ताओं को यह तर्क देते हुए उचित ठहराया जाता है कि धारा 17 (4) के तहत अधिसूचना धारा 5 ए के तहत जांच के साथ अनुचित थी। [पैरा 39-40] [235-G-H; 236-A-B]

1.8 यह अपील वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होती है। नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने

एसएलपी चरण ने 6.11.2009 पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बाद, 27.1.2012 पर छुट्टी दी गई। हालाँकि अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया था। लगभग 12 वर्षों के बाद आखिरकार मामले का निपटारा किया जा रहा है। इस बीच, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार और

पुनर्वास अधिनियम, 2013 ने अपनी जगह ले ली है। इसलिए, धारा 5 ए के तहत जांच के लिए मामले पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि संपत्ति के झूठ के बारे में रिट याचिका में आरोप का कोई खंडन नहीं है, अर्थात्। , यह योजना क्षेत्र के बीच में नहीं है। [पैरा 41] [236 सी-ई] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[202

1] 11 एस.

1.9 विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट पेट

अपीलार्थियों द्वारा दायर किए जाने की अनुमति है और उसी के आधार पर विवादित अधिसूचना और कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी। संपत्ति अपीलार्थियों को वापस कर दी जाएगी। यह उपलब्ध अधिकारों/शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

कानून के तहत प्रतिवादी। [पैरा 42] [236-ई]

नारायण गोविंद गावटे और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्य (1977) 1 एस. सी. सी. 133: [1977] 1

ओम प्रकाश और एक अन्य वी। यू. पी. और अन्य राज्य (1998) 6 एससीसी 1: [1998] 3 एस. सी. आर. 643; आनंद सिंह और

एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2010) 11

एस. सी. सी. 242 [2010] 9 एस. सी. आर. 133; राधेश्याम (मृत)

एलआरएस के माध्यम से। और अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य और

अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 553: [2011] 8 एस. सी. आर. 359; राज्य

यू. पी. वी. श्रीमती. पिस्ता देवी और अन्य (1986) 4 एससीसी 251:

उत्तर प्रदेश और एक अन्य (1996) 2 एस. सी. सी. 549: [1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 827; राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य बनाम। श्री.

किशन और अन्य (1993) 2 एस. सी. सी. 84: [1993] 1 एससीआर 269 ; हरियाणा राज्य बनाम। इरोस सिटी डेवलपर्स प्राइवेट

लिमिटेड और अन्य (2016) 12 एस. सी. सी. 265: [2016] 1 एससीआर

242 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 3 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[2010] 9 एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2011] 8 एससीआर 359

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[1986] 3 एससीआर 743

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1995] 6 पूरक। एससीआर 827

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर 269

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2016] 1 एससीआर 242

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1977] 1 एससीआर 763

पर भरोसा किया।

पैरा 23 हामिद अली खान (डी) थ्रू एलआरएस। & एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1267

अभय कुमार, विजय कुमार, कुमार मिलिंद, शगुन रुहिल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। रवींद्र रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सौरभ सिंह चौहान, राजीव कुमार दुबे, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, रवींद्र कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. मूल अपीलार्थी जो अपने कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं, उन्होंने दिनांकित 11.4.2008 अधिसूचनाओं को असफल रूप से चुनौती दी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत जारी किया गया। पहली अधिसूचना के आधार पर अधिनियम की धारा 4 और 17 (4) के तहत शक्तियों को अपीलार्थियों की संपत्ति के संबंध में लागू किया गया। खंड पीठ ने विवादित फैसले से रिट याचिका को खारिज कर दिया।

2. 17 (4) के तहत अधिसूचना के साथ अधिनियम की धारा 4 (1) दिनांक 8.10.2004 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी।

बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, बुलंदशहर के नाम से एक आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए हेक्टेयर भूमि। प्लॉट No.881 और 914 अपीलार्थी बच्चों से संबंधित थे। अपीलार्थियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि अधिनियम की धारा 5 ए की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 7.10.2005 पर प्रकाशित की गई थी। यह अपीलार्थियों का विशिष्ट मामला है कि तात्कालिकता खंड लागू किए जाने के बावजूद, कब्जा केवल जनवरी 2006 में लिया गया था। यह पुरस्कार केवल प्लॉट 914 (अपीलार्थियों के बच्चों से संबंधित) के लिए 29.4.2009 पर पारित किया गया था। भूखंड संख्या 881 के संबंध में, जिसे भी अधिग्रहित किया गया था, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था। यह कहा गया है कि घटनास्थल पर आज तक न तो आवासीय योजना के तहत कोई निर्माण शुरू किया गया है और न ही निकट भविष्य में ऐसा प्रतीत होता है। जिस रिट याचिका को याद रखा जाना चाहिए वह वर्ष 2009 में दायर की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 52.81 हेक्टेयर के संबंध में आवंटन प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई थी। रिट याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वे Sy.880 और Sy.893 में पशु बाजार चला रहे थे। यह उनका मामला है कि अधिक [2021] 11 एस. सी. आर. हासिल करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योजना जिसमें विचाराधीन संपत्ति शामिल थी। 6.1.2006 पर पहले अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा धन की मांग का आरोप सं। 3 यदि अपीलार्थी चाहते हैं कि भूखंड 880 और 893 को छूट दी जाए तो ऐसा किया जाता है। 10.10.2006 पर, प्रत्यर्थी नं. 2 (प्राधिकरण) पर मौजूदा निर्माण के बारे में अवर सचिव को एक पत्र लिखा भूमि को। दिनांकित 6.10.2006 और 10.10.2006 पत्र में प्लॉट No.880 और 893 के संबंध में यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 के तहत किसी भी पशु बाजार के अस्तित्व और घोषणा से इनकार किया गया है। यह शिकायत की जाती है कि उक्त पत्रों ने राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से गलत और गलत रिपोर्ट दी

क्रमशः। अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 18.12.2006 पर अभ्यावेदन दायर किया। उन्होंने 2007 की रिट याचिका संख्या 12379 दायर की, जिसमें कलेक्टर के दिनांकित 6.10.2006 और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के दिनांकित 10.10.2006 के पत्रों को चुनौती दी गई। उक्त रिट याचिका को हालांकि 10.9.2008 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया जब धारा 4 और 17 (4) के तहत आक्षेपित अधिसूचना 11.4.2008 पर जारी की गई थी। दिनांकित 3.1.2008,8.2.2008 और 8.3.2008 पत्रों का संदर्भ है। 27.3.2008 पर यह आरोप लगाया जाता है कि तीसरे उत्तरदाता ने फिर से गलत जानकारी भेजी कि

विवादित भूमि पर 13 घर हैं जो फिर से गलत थे और मौके की स्थिति के खिलाफ थे (डब्ल्यू. पी. में अनुलग्नक 14)। रिलायंस को लेआउट योजना पर रखा गया था, जिसकी फोटोकॉपी अनुलग्नक 15 में संलग्न है। उसी के बल पर यह तर्क दिया गया था कि भूखंड संख्या 880 और भूखंड संख्या 893 खुर्जा शहर के अंत में अलीगढ़ा-खुर्जा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी जी. टी. रोड के सामने स्थित हैं और यह योजना के केंद्र में नहीं है जैसा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था। यह विशेष रूप से माना जाता है कि प्लॉट No.880 और प्लॉट संख्या 893 योजना के केंद्र में स्थित नहीं हैं जैसा कि 6.10.2006 और 10.10.2006 की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है। वे कथित तौर पर जी. टी. रोड के सामने शहर के एक छोर पर स्थित हैं। यदि एक विशाल चारदीवारी खड़ी की जाती है, तो भूमि की विस्तार योजना को बाधित किए बिना भूखंडों को आवासीय क्षेत्र से अलग किया जा सकता है। योजना। वे दीवार लगाने के लिए तैयार हैं। कथित विस्तार के लिए भूखंडों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा इस आशय से लिखे गए 29.3.2008 दिनांकित पत्र का संदर्भ है कि भूमि की प्रकृति के कारण इसे मुख्य योजना के लिए पहले किए गए अधिग्रहण से छूट दी गई थी। यह आरोप लगाया जाता है कि गलत के आधार पर

उपाध्यक्ष, राज्य द्वारा भेजी गई विरोधाभासी जानकारी सरकार ने एल. आर. एस. के माध्यम से मध्य अली खान (डी) का उल्लेख करते हुए दिनांक 11.4.2008 की विवादित अधिसूचना जारी की।

& एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम की धारा 4 के तहत और तात्कालिकता खंड का भी आह्वान करते हुए

आर धारा 17 (4) धारा 5 ए ई अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार को छीन रही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधिनियम की धारा 17 (4) को दिनांकित अधिसूचना भी जारी की।

3. द्वितीय की ओर से एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया गया था।

स्थायी प्राधिकरण। इसमें स्थापित मामला इस प्रकार हैः

जारी अधिसूचनाओं के तहत विकास प्राधिकरण

2004 और 2005 के तहत सड़कों और डिवाइडरों का निर्माण किया गया है।

आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के लिए विकसित भूखंडों के रूप में बेचे जा रहे सभी भूखंडों से संपर्क करना। प्राधिकरण ने ट्रंक सीवर लाइन भी विकसित की जो सीवर लाइन को खरीदारों द्वारा निर्मित की जाने वाली इमारतों से जोड़ेगी। आगे किए गए विकास को विद्युतीकरण बताया गया है

सड़कों के साथ-साथ खंभे लगाकर कॉलोनी। 33 का एक उप-स्टेशन

के. वी. ए. का निर्माण भी करवाया गया। विस्तृत चार्ट की एक प्रति

विकास और निर्माण के साथ उत्पादन किया गया था

शपथ पत्र। जलापूर्ति प्रणाली और 2000 किलोलीटर की एक ऊपरी टंकी का भी निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि विकास कार्य राहनकंद, माधवखंड, उधवखंड में पूरा किया गया था। गोविंदखंड और केशवखंड। शेष भागों में

विकास कार्य चल रहे हैं। लगभग रु. 20 करोड़ों पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। विज्ञापित भूखंडों में से 1016 आवेदकों को विकसित भूखंड आवंटित किए गए, जिनमें से 60 ने अपने नाम पर बिक्री विलेख पंजीकृत करवा लिए हैं। विकसित की जाने वाली कुल भूमि का पाँच प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवंटित किया जाना था और भूमिहीन व्यक्तियों को मुफ्त में भूमि आवंटित की जानी थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहर के गरीब लोगों को निर्मित घर दिए जाने हैं।

एक योजना की शर्तें, और उसी निर्माण कार्य के लिए 5 प्रतिशत से अधिक भूमि बनाई जा रही थी। इसके बाद यह कहा गया कि कॉम्पैक्ट कॉलोनी के विकास के लिए, इसे आवश्यक माना जाता था

रिट याचिका में शामिल भूमि का अधिग्रहण करना। अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया। अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि

पूर्ववर्ती के पूरक के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का सिद्धांत

2004-2005 का अधिग्रहण एक प्रहसन था।

4. डिवीजन बेंच के विवादित फैसले का अवलोकन

क्या यह है कि अपीलार्थियों की ओर से अकेले दो प्रस्तुतियाँ की गई थीं। दूसरा निवेदन यह था कि [2021] 11 एस. सी. आर. को समाप्त करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी।

अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच। डिवीजन बेंच ने प्रस्तुतिकरण को निम्नलिखित तरीके से निपटायाः

" प्राधिकरण द्वारा एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जो दर्शाता है कि योजना के लिए विकास कार्य किया गया है।

छड़, डिवाइडर, सीवर लाइन, पानी की लाइन, बिजली के खंभे और बिजली उप स्टेशन का निर्माण किया गया है। भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। योजना के लिए कुल बांड राशि रु। 24.09 करोड़। इस राशि में से सबसे अधिक विकास किया गया है और रु। 19.74 करोड़ वितरित किए गए हैं। एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है लेकिन इसका कोई विशिष्ट खंडन नहीं है। यह कहना सही नहीं है कि कोई काम नहीं किया गया है। तात्कालिकता के संबंध में संतुष्टि

इस खाते पर दूषित नहीं किया जाता है। "

5. पहला निवेदन सरकारी आदेश पर आधारित था जिसने 10 एकड़ से कम क्षेत्र वाली भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। इसे खारिज कर दिया जाता है क्योंकि सरकारी आदेश को केवल एक दिशानिर्देश पाया गया था।

इसके बाद यह उल्लेख किया गया हैः

" 8. खेल का एक नक्शा इसके साथ संलग्न किया गया है

रिट याचिका। न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत नक्शा भी प्रस्तुत किया गया था। मानचित्र से पता चलता है कि विवादित संपत्ति योजना की भूमि से तीन तरफ से ढकी हुई है और चौथी तरफ सड़क है। यह दर्शाता है कि उचित कार्यान्वयन के लिए भूमि आवश्यक है।

योजना, यह विशिष्ट रूप से उपयुक्त है।

9. याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति पर पशु बाजार चलाता है। इसे आवासीय स्थानों के बीच चलाना उचित नहीं हो सकता है।

क्षेत्र। तथापि, क्षतिपूर्ति शीघ्रता से प्रदान की जाए ताकि

याचिकाकर्ता वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है।

रिट याचिका खारिज कर दी गई।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निस्संदेह तर्क दिया कि विचाराधीन संपत्ति को पहले अधिग्रहण से बाहर रखा गया था। वहाँ था। संपत्ति के अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 5 ए के तहत अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित था। उन्होंने नक्शे की ओर इशारा किया और बताया कि विचाराधीन संपत्ति एलआरएस के माध्यम से हामिद अली खान (डी) के बीच में नहीं थी।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

योजना क्षेत्र का और, वास्तव में, वास्तव में इसके अनुसार कोई काम नहीं किया गया था

पहली अधिसूचना। उन तिथियों का उल्लेख करते हुए जिन पर घटनाएँ हुईं, वे तर्क देंगे कि तात्कालिक शक्तियों का आह्वान और वितरण धारा 5 ए के तहत जांच पूरी तरह से अनुचित थी। अपीलार्थियों का यह तर्क है कि किसी विशेष उपयोग को रोकने के कथित उद्देश्य से बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के बाद के अधिग्रहण में भूमि के छोटे टुकड़ों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था।

अनधिकृत निर्माण और या पशु बाजार का अस्तित्व। कोई आसन्न आवश्यकता नहीं है। यह दुर्भावना का मामला है। अपीलकर्ताओं ने ओम प्रकाश और एक अन्य बनाम द्वारा स्टोर रखा। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1, आनंद

सिंह और एक अन्य वी। एल. आर. एस. के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2 और राधेश्याम (मृत)। और अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 3.

8. इसके विपरीत, श्री रवींद्र रायज़ादा ने प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के रूप में जाना, दूसरी ओर तर्क दिया कि एक सार्वजनिक आवश्यकता थी और धारा 5 ए के तहत जांच की गई थी।

उचित सामग्री के आधार पर वितरित किया गया। वह तर्क देंगे कि धारा 5 ए को समाप्त करने के लिए धारा 17 के तहत लिए गए निर्णय की न्यायिक रूप से समीक्षा करने के लिए रिट अदालत का अधिकार क्षेत्र सीमित था। निर्णय प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है। उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जिनमें कथित रूप से जिन पर भरोसा किया गया था, वे शामिल थे।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत जांच के वितरण को उचित ठहराएँ।

9. जवाबी हलफनामा दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर किया जाता है। उसी के आधार पर लिखित प्रस्तुति में निम्नलिखित स्थिति बनाई गई है।

वर्तमान मामला खुर्जा के मास्टर प्लान से संबंधित है। 2001. खुर्जा शहर दिल्ली हावड़ा लाइन का एक महत्वपूर्ण शहर है। अपने मिट्टी के बर्तनों के काम के लिए जाने जाने वाले इस शहर में 1991-2001 के बीच 22.5% की जनसंख्या वृद्धि देखी गई। इससे आवास की भारी कमी हो गई।

आई. डी. 1 पर आयोजित एक बैठक में कालिंदी कुंज आवासीय योजना के लिए 52 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद

योजना की मंजूरी के बाद अपीलकर्ताओं ने अनधिकृत रूप से 13 दुकानों का निर्माण किया। इस संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। राज्य ने

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार ने दूसरे प्रतिवादी को एक पत्र दिनांकित 24.09.2003 रुपये जमा करने के लिए कहा। 2,29,17,8000 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए

उचित मुआवजा। कलेक्टर ने 08.10.2004 पर एक प्रस्ताव भेजा जिसमें तात्कालिकता खंड को लागू करने की सिफारिश की गई थी। उस समय इस मामले में विवाद में प्लॉट नं। 880 और 893 को छोड़ दिया गया क्योंकि अपीलकर्ताओं ने तब प्रतिनिधित्व किया कि एक मस्जिद थी और उक्त भूखंडों में पेट्रोल पंप। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें विचाराधीन भूखंडों को शामिल किया गया था और फिर घोषणा द्वारा बाहर रखा गया था। एन सी आर पी बी

इस शहर के लिए 13.12.2004 पर मास्टर प्लान तैयार किया। एन. सी. आर. पी. बी. ने एक करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी। कालिंदी कुंज आवासीय के लिए 57.34 करोड़

दूसरा उत्तरदाता यह समझाने के लिए कि 2.692 हेक्टेयर का क्षेत्र क्यों था आवश्यकता है। दूसरे प्रतिवादी ने यह बताते हुए जवाब दिया कि भूमि को आवासीय योजना और भूमि के हिस्से के रूप में अधिग्रहण करने की मांग की गई थी

यह विकास क्षेत्र के बीच में पड़ता है। 11.04.2008 पर विभाग ने मंत्री द्वारा मंजूरी की मंजूरी के लिए सिफारिश की जिसे मंजूरी दे दी गई और विवादित संपत्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

11.04.2008 पर धारा (17) के साथ पठित धारा (4) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। अपीलकर्ताओं ने इस अधिसूचना को चुनौती नहीं दी। धारा 17 के साथ पठित धारा 6 के तहत अधिसूचना 09.04.2009 पर जारी की गई थी। रिट याचिका अपीलार्थी द्वारा 20.05.2009 पर दायर की गई थी। यह दूसरे प्रतिवादी का आगे का तर्क है कि रिट को 28.05.2009 पर खारिज कर दिया गया था। 06.07.2009 पर एस. एल. ए. ओ. ने भूमि पर कब्जा करने की पेशकश की। इसे राज्य द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया और 27.07.2009 पर दूसरे उत्तरदाता को सौंप दिया गया। 16.09.2009 पर भूमि के नाम में परिवर्तन किया गया था। 06.11.2009 पर नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने यथास्थिति प्रदान की। आवास को सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। रिलायंस को 1975 (1) एस. सी. आर. 802 में संविधान पीठ के निर्णय पर रखा गया है। यह तर्क दिया जाता है कि अब तक 11.04.2008 की अधिसूचना को केवल 20.05.2009 पर चुनौती दी गई थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रासंगिक है।

बिना किसी निर्माण के जमीन पूरी तरह से खाली पड़ी है।

अपीलकर्ता हामिद अली खान (डी) थ्रू एलआरएस हैं। & एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस पर नहीं रहता। इसका एकमात्र उपयोग पशु मेला आयोजित करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग जनहित और पर्यावरण के विपरीत होगा। मामला कानून की स्थिति के संदर्भ में दूसरा प्रतिवादी अनिवार्य रूप से यू. पी. बनाम राज्य श्रीमती से समर्थन प्राप्त करना चाहता है। पिस्ता देवी और

अन्य और चमेली सिंह और अन्य बनाम। यू. पी. राज्य और अन्य 3. राधे श्याम (ऊपर) विशिष्ट है। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त में

मामले में भेदभाव का विशेष आरोप लगाया गया था। वर्तमान मामले में भेदभाव का कोई मामला नहीं है। दुर्भावना का कोई मामला नहीं है। दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि राधे श्याम मामले (उपरोक्त) में निर्णय ने राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य बनाम में आदेश पर चर्चा नहीं की। श्री किशन और अन्य। यह आगे तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में आपत्ति बुलाना एक खाली औपचारिकता होगी। यही कारण है कि अपीलार्थी ने रिट याचिका या एसएलपी में कोई आपत्ति नहीं जताई है, जिसे वे धारा 5 ए के तहत सुनवाई होने की स्थिति में आगे बढ़ाते। इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था। पूरक योजना के तहत भूमि की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मानचित्र से यह स्पष्ट है। पूर्वाग्रह की अवधारणा को सेवा में यह तर्क देने के लिए दबाया जाता है कि अपीलार्थी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होंगे। यह आगे तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में तात्कालिकता जारी है। भूमिहीनों आदि को मुफ्त भूखंड आवंटित किए जाते हैं, हालांकि यह कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन है। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थियों की भूमि विकास योजना के बीच में आती है। यह तर्क दिया जाता है कि भूखंडों में भूमि नं। 880 और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की सड़क को चौड़ा करने, स्कूल, पार्क, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और 26 संख्या के निर्माण के लिए 893 की आवश्यकता है। 160 वर्ग मीटर आकार के आवासीय भूखंड और 200 वर्ग मीटर आकार के 10 भूखंड आदि।

कानून संबंधित धारा 5 ए की स्थिति

के साथ विभेदित होना

10. नारायण गोविंद गावटे और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 3 विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ सुनवाई कर रही थी धारा 17 (4) के तहत जारी अधिसूचना के साथ। सार्वजनिक उद्देश्य का पाठ किया गया

अधिसूचना में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भूमि का विकास और उपयोग किया गया था। भूमि को बंजर और कृषि योग्य भूमि के रूप में वर्णित किया गया था और तत्काल प्रावधान का आह्वान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना जारी की गई थी। इस अदालत ने अन्य बातों के साथ कहाः

4 (1986) 4 एस. सी. सी. 251

5 (1996) 2 एस. सी. सी. 549

6 (1993) 2 एससीसी 84

7 (1977) 1 एससीसी 133 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. यह सच है कि ऐसे मामलों में, एक राय का गठन एक व्यक्तिपरक मामला है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार उन स्थितियों के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया है जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने से पहले कुछ राय बनानी होती है जो वे करने के लिए सशक्त हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे मामलों पर सामान्य रूप से अदालतों की तुलना में सही या गलत राय के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से जानेंगे। फिर भी, उस राय को कुछ प्रासंगिक सामग्रियों पर आधारित होना चाहिए ताकि अदालतों द्वारा लगाए गए परीक्षण को पारित किया जा सके। वह परीक्षण मूल रूप से है: क्या संबंधित प्राधिकारी अपनी शक्तियों के दायरे में या उस क्षेत्र में कार्य कर रहा था जहां उसकी राय और विवेकाधिकार था

पूरा खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए? एक बार जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि संबंधित प्राधिकरण अपनी शक्तियों के दायरे में काम कर रहा था और उसके पास कुछ सामग्री थी, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो, जिस पर वह उचित रूप से अपनी राय का आधार बना सकता था, तो अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही करेगा। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें शक्ति का प्रयोग इस तरह के स्पष्ट रूप से मनमाने या विकृत तरीके से किया जाता है,

24. हमारे समक्ष मामलों पर वापस आते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही आधार बताए थे जिन पर अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता के अस्तित्व के बारे में एक व्यक्तिपरक राय को भी कुछ सीमित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन, जैसे ही हम किसी चुनौती की बात करते हैं, हमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और 102 द्वारा निर्धारित सामान्य बोझ को ध्यान में रखना होगा। यह याचिकाकर्ता पर है कि वह अपनी चुनौती के आधार को साबित करे। इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता को या तो साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा या यह दिखाना होगा कि उत्तरदाताओं की ओर से कुछ साक्ष्य आया है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि किसी अधिसूचना या आदेश को उसकी चुनौती को सही ठहराया गया है। यदि वह उस कर्तव्य का निर्वहन करने में सफल नहीं होता है तो उसकी याचिका विफल हो जाएगी। 30. हमारे समक्ष मामलों में, यदि याचिकाकर्ताओं को अपनी सामान्य या स्थिर जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए कुल सबूत अपर्याप्त थे, तो उनकी याचिकाएं सफल नहीं हो सकती थीं। दूसरी ओर, यदि, खाली मध्य अली खान (डी) के अलावा एलआरएस के माध्यम से।

& एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [के. एम. जोसेफ, जे.]

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे, कि तात्कालिकता पर विचार किया गया

अन्य मामलों पर राय बनाई गई। पाठ में यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने की आवश्यकता पर कोई राय बनाई गई थी। यह निश्चित रूप से एक सहजता है जिसमें गायन कम से कम दोषपूर्ण था। इसलिए बोझ, यह दिखाने के लिए कि कुछ असाधारण परिस्थितियाँ जिनके कारण अधिनियम की धारा 5-ए और [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत जांच को समाप्त करने की आवश्यकता थी, यदि संभव हो तो साक्ष्य द्वारा दोष को दूर करने के लिए राज्य पर निर्भर था।

कि आयुक्त का दिमाग इस आवश्यक पर लागू किया गया था सवाल करते हैं। यह हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से लागू किया

बोझ डालने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान

उन विशेष परिस्थितियों को साबित करने के लिए राज्य पर, हालांकि यह

हमें यह भी प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में काफी सही नहीं था

अपने दृष्टिकोण को इस तरह से बताते हुए कि यह प्रतीत हो कि कुछ

धारा 101 के तहत याचिकाकर्ताओं के प्रारंभिक बोझ का हिस्सा और

102 साक्ष्य अधिनियम की विफलता से विस्थापित हो गया था

राज्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। द. इसे रखने का सही तरीका यह कहना होगा कि विफलता

विशेष रूप से राज्य के भीतर तथ्यों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इसके अधिकारियों का ज्ञान, जो धारा 106 के तहत उस पर निर्भर था

साक्ष्य अधिनियम, परिचर तथ्यों के साथ लिया गया और परिस्थितियों ने, गायन की सामग्री सहित, सक्षम किया था

याचिकाकर्ता धारा 101 और 102 के तहत अपने बोझ का निर्वहन करें

साक्ष्य अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

11. पिस्ता देवी (ऊपर) में, दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ आई

अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच से जुड़े मामले पर विचार करें। अदालत ने उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले हिस्से में स्थित मेरठ शहर से संबंधित मामले को नोट किया जो पाया गया था

बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नगर नियोजन और शहरी विकास की समस्या से निपटना था। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर ने आवास योजना के लिए लगभग 412 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी विकास आयुक्त और सचिव को दिनांकित पत्र लिखा। यह पाया गया कि घरों की भारी कमी थी। कलेक्टर ने आवश्यक प्रमाण पत्र दिया। सरकार ने अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की और धारा 5 ए के तहत जांच को भी समाप्त कर दिया जो 12 जुलाई, 1980 को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 1.5.1981 पर धारा 6 के तहत घोषणा की गई। कब्जा ले लिया गया और जुलाई, 1982 में मेरठ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया

गया। इन परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 17 के तहत अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने नारायण गोविंद गावते (ऊपर) को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिष्ठित किया:

" .....इन दिनों आवास का प्रावधान

यह राष्ट्रीय तात्कालिकता का विषय बन गया है। हम न्यायिक कार्रवाई कर सकते हैं।

इस तथ्य पर ध्यान दें। अब यह मानना मुश्किल है कि हामिद अली खान (डी) के मामले में एलआरएस के माध्यम से।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम की धारा 17 (1) को लागू करना और उसे समाप्त करना अनावश्यक है। अधिनियम की धारा 5-ए के अनुपालन के साथ। शायद उस समय

जिस समय तक नारायण गोविंद गावटे बनाम में निर्णय लिया गया। राज्य महाराष्ट्र का [(1977) 1 एस. सी. सी. 133: 1977 एससीसी (सीआरआई) 49: एयर

1977 एससी 183: (1977) 1 एस. सी. आर. 763] संबंधित स्थिति हो सकती है

कि आवासीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित योजनाएं

शहरी केंद्रों में इतना जरूरी नहीं था और यह आवश्यक नहीं था।

अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करना। द.

अधिग्रहण कार्यवाही जिन्हें उस मामले में चुनौती दी गई थी

वर्ष 1963 से संबंधित। लगभग 23 वर्षों की इस अवधि के दौरान

तब से भारत की जनसंख्या में सैकड़ों की वृद्धि हुई है।

लाखों और अब न्यायालय के लिए यह विचार लेना संभव नहीं है

कि आवासीय क्षेत्रों के विकास की योजनाएं नहीं

" ऐसा प्रतीत होता है कि सारांश को समाप्त करने के लिए ऐसी आकस्मिक कार्रवाई की मांग की जाती है अधिनियम की धारा 5-ए के तहत पूछताछ।

7 ... इस प्रकृति के मामले में जहां भूमि का एक बड़ा विस्तार किया जा रहा है

शहरी क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहित यह नहीं होगा

उन छोटे भागों को छोड़ना उचित होगा जिन पर कुछ सुपर हैं

विकास योजना से संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

ऐसी स्थिति में जहां वास्तविक तात्कालिकता है, यह मुश्किल होगा।

भूमि के कुछ टुकड़ों के मामले में अधिनियम की धारा 5-ए को लागू करना। जो कुछ संरचनाएँ खड़ी हैं और बाकी को छूट देने के लिए

उसके आवेदन से संपत्ति। क्या विचाराधीन भूमि बेकार है

या कृषि योग्य भूमि को सामान्य प्रकृति को देखकर आंका जाना चाहिए।

और भूमि की स्थिति "।

(जोर दिया गया)

12. इस प्रकार, पिस्ता देवी (सुप्रा) में एक विसंगत टिप्पणी की गई।

राजस्थान आवास बोर्ड (उपरोक्त) में, फिर से दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ राजस्थान आवास बोर्ड के लाभ के लिए कुल 2570 बीघा के अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना पर विचार कर रही थी। राजस्थान अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत 13.01.1982 दिनांकित अधिसूचना के बाद धारा 5 (ए) के तहत जांच के साथ 09.02.1982 दिनांकित अधिसूचना जारी की गई। सरकार के अनुसार 24.05.1982 और 26.05.1982 पर कब्जा ले लिया गया था। यह न्यायालय पिस्ता देवी (ऊपर) पर निर्भर था। और राय दी कि पैरा 7 में निहित उक्त निर्णय में व्यक्त किए गए विचार सही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैराग्राफ 14 हमारे मामले में विवाद के लिए उपयुक्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 14. श्री ठाकुर ने आगे तर्क दिया कि

आवास बोर्ड ने 31 मार्च, 1983 तक उक्त राशि के निर्माण और उपयोग के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत 16 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था; कि इन परिस्थितियों में सरकार संतुष्ट थी कि जब तक तुरंत कब्जा नहीं लिया गया था, और आवास बोर्ड ने निर्माण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। बोर्ड समयबद्ध कार्यक्रम का पालन नहीं कर पाएगा।

उक्त तथ्य के अलावा, खंड पीठ ने कुछ अन्य सामग्रियों का भी उल्लेख किया, जिन पर सरकार ने

कहा गया संतुष्टि। , कि समयबद्ध कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ऋणदाता हुडको द्वारा निर्धारित, बोर्ड ने पहले ही बड़ी संख्या में इंजीनियरों और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त किया था

उक्त कार्य को पूरा करने और धारा 5-ए के तहत जांच करने के परिणामस्वरूप आवास बोर्ड की पूरी योजना और समय-अनुसूची को खतरे में डालने के लिए अनावश्यक देरी होती। यदि यह याद रखा जाना चाहिए कि धारा 17 (4) के तहत संतुष्टि एक व्यक्तिपरक है और जब तक ऐसी सामग्री है जिस पर सरकार उक्त संतुष्टि को निष्पक्ष रूप से बना सकती है, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही वह सामग्री की अपीलीय प्राधिकरण के रूप में जांच करेगा। यह वह सिद्धांत है जिसकी पुष्टि इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा धारा 17 (4) के तहत नहीं बल्कि आम तौर पर व्यक्तिपरक संतुष्टि के संबंध में भी की जाती है।

(जोर दिया गया)

13. चमेली सिंह मामले (उपरोक्त) में, 3 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया। धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांकित 7.1983 थी और धारा 6 के तहत घोषणा भी प्रकाशित की गई थीधारा 17 (4) के तहत अधिसूचना जारी करना। धारा 17 (4) के तहत चुनौती अधिसूचना के संबंध में इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 3 .....जब सरकार यह राय बनाती है कि यह आवश्यक है कि

दलितों के लिए घर बनाने के लिए भूमि पर तत्काल कब्जे की आवश्यकता होती है, यह उक्त उद्देश्य के लिए तत्काल कब्जा लेने की तात्कालिक राय बनाता है। तदनुसार यह धारा 5-ए के तहत जांच के साथ प्रत्यक्ष वितरण करने और धारा 4 (1) अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद धारा 6 के तहत घोषणा को प्रकाशित करने का हकदार है। 4. यह तय किया गया कानून है कि उपयुक्त सरकार द्वारा तत्काल कब्जा करने के लिए बनाई गई तात्कालिकता की राय, उसके सामने की सामग्री के आधार पर एक व्यक्तिपरक निष्कर्ष है और यह तब तक बहुत महत्वपूर्ण होने का हकदार है जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण या रंगीन द्वारा दूषित नहीं किया जाता है।

शक्ति का प्रयोग। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 (1) में घोषणा की गई है कि "हर किसी को भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सहित अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। सामाजिक सेवाएँ "।

15. इसलिए सवाल यह है कि क्या धारा 17 (4) के तहत धारा 5-ए के तहत जांच के साथ तत्काल खंड का आह्वान मनमाना है या गरीबों के लिए आवास निर्माण प्रदान करने के लिए अनुचित है। अफ़लातून वी. दिल्ली के उपराज्यपाल [(1975) 4 एस. सी. सी. 285] (पी. 290), इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने

दिल्ली के नियोजित विकास के लिए धारा 5-ए के तहत जांच के साथ धारा 17 (4) के तहत राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग को बरकरार रखा। पिस्ता देवी मामले [(1986) 4 एस. सी. सी. 251] में इस न्यायालय ने मेरठ के नियोजित विकास के लिए आवास प्राप्त करने के लिए धारा 5-ए के तहत जांच करने वाली राज्य सरकार द्वारा धारा 17 (4) के तहत शक्ति के प्रयोग की वैधता पर विचार करते हुए कहा था कि आवास प्रदान करना राष्ट्रीय तात्कालिकता है, जिसके लिए अदालत को न्यायिक नोटिस लेना चाहिए। संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्व-अधिसूचना और अधिसूचना के बाद की देरी से यह मानने का कारण नहीं बनता है कि कोई तात्कालिकता नहीं है। पूरे देश में दलितों की आवास की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है [2021] 11 एस. सी. आर.

और यह एक ऐसा तथ्य है जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेने के लिए बाध्य हैं। दीपक पाहवा मामले का अनुपात [(1984) 4 एस. सी. सी. 308: (1985) 1 एस. सी. आर. 588] का पालन किया गया। उस मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 17 (4) के तहत जारी अधिसूचना को बरकरार रखा था, भले ही अधिसूचना प्राप्त करने से पहले अंतर-विभागीय चर्चाओं के कारण 8 साल का समय बीत गया था। यही तो था

तात्कालिकता खंड को लागू करने का आधार माना जाता है। यह भी माना गया कि अधिग्रहण के मामले में आगे की कार्रवाई करने में सुस्त अधिकारियों की ओर से की गई देरी अधिसूचना जारी होने के समय मौजूद तात्कालिकता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी

और यह मानना कि कभी भी कोई तात्कालिकता नहीं थी। जाग राम बनाम। हरियाणा राज्य [(1971) 1 एस. सी. सी. 671] इस न्यायालय ने धारा 17 (4) के तहत तात्कालिकता की शक्ति के प्रयोग को बरकरार रखा और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रारंभिक स्तर पर अधिकारियों की ओर से सुस्ती यह तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं थी कि अधिसूचना के दिन तात्कालिकता थी या नहीं। सरकार का निष्कर्ष कि वहाँ

तात्कालिकता, हालांकि निर्णायक नहीं थी, वजन बढ़ाने का हकदार है।

दीपक पाहवा मामले [(1984) 4 एस. सी. सी. 308: (1985) 1 एस. सी. आर. 588] इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति अक्सर प्रस्तावित रिट याचिका के खिलाफ संबंधित अधिकारी जो कई पूछताछ, संचार और चर्चाओं के परिणामस्वरूप होने के लिए बाध्य हैं, जिससे तत्काल परियोजनाओं के निष्पादन में भी देरी होती है। अक्सर देरी समस्या को अधिक से अधिक तीव्र बनाती है और अधिग्रहण की आवश्यकता की तात्कालिकता को बढ़ाती है। राजस्थान आवास बोर्ड बनाम। श्री किशन [(1993) 2 एस. सी. सी. 84] (पी. 91), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यह याद रखा जाना चाहिए कि धारा 17 (4) के तहत संतुष्टि एक व्यक्तिपरक है और

कि जब तक ऐसी सामग्री है जिस पर सरकार निष्पक्ष रूप से उक्त संतुष्टि का गठन कर सकती थी, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही वह एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सामग्री की जांच करेगा।

यू. पी. राज्य बनाम केशव प्रसाद सिंह [(1995) 5 एस. सी. सी. 587] (पी. 590), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि सरकार धारा 17 (4) के तहत तात्कालिकता खंड का आह्वान करने और धारा 5-ए के तहत जांच करने की शक्ति का प्रयोग करने की हकदार थी जब रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर तात्कालिकता देखी गई थी। नारायण गोविंद गावटे मामले [(1977) 1 एस. सी. सी. 133: 1977 एससीसी (सीआरआई) 49: (1997) 1 एस. सी. आर. 763] इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि

कि धारा 17 (4) को धारा 4 (1) से अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।

मिड अली खान (डी) थ्रू एलआरएस। & एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

और अधिनियम की धारा 5-ए। हालाँकि अधिसूचना के 30 दिन बाद

धारा 4 (1) के तहत धारा के तहत आपत्तियां दर्ज करने के लिए दिए गए हैं।

5 - ए, इसके तहत जांच अनुचित रूप से लंबी हो जाती है। देखना मुश्किल है

संक्षिप्त जांच पूरी क्यों नहीं की जा सकी?

शीघ्रता से। फिर भी, इस न्यायालय ने प्रथम का अस्तित्व माना

सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि उन मामलों में पहले से मौजूद

न्यायालय को सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी

विरोध करने वाले। इसने आगे कहा कि यह लेने के लिए प्राधिकरण के लिए खुला था धारा 5-ए के तहत संक्षिप्त जांच और जांच पूरी करने के लिए

शीघ्रता से। इस बात पर जोर दिया गया कि - (एस. सी. सी पी. 148, पैरा 38)

" ..... संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी का दिमाग होना चाहिए

इस प्रश्न पर लागू किया गया कि क्या ऐसी कोई तात्कालिकता है ऐसी प्रकृति कि धारा 5-क के अधीन संक्षिप्त कार्यवाहियाँ भी

अधिनियम को समाप्त किया जाना चाहिए। यह केवल एक अस्तित्व नहीं है तात्कालिकता लेकिन धारा के तहत जांच को समाप्त करने की आवश्यकता

5 - जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

14. यह न्यायालय गावटे में निर्णयों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा,

देवी और राजस्थान आवास बोर्ड। जहाँ तक गावते था

इसके बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनायाः

16. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारण पर जोर दिया

उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर जांच। बहुत बार नीति के कार्यान्वयन में उदासीनता के कारण अधिकारी और

सरकार के कार्यक्रम स्वयं विलंबकारी रणनीति अपनाते हैं

भूमि के मालिक के लिए वैधता को चुनौती देने का कारण बनाना

या तात्कालिकता को हराने के लिए शक्ति के प्रयोग की वैधता

धारा 17 (4) के तहत निर्णय लेने की तारीख को मौजूद

धारा 5-ए जांच को समाप्त करें।

17. यह सच है कि पूर्व-अधिसूचना और पोस्ट-अधिसूचना थी

अधिकारियों की ओर से अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने में देरी अधिसूचना। लेकिन वे तथ्य सरकार के सामने मौजूद थे

जब इसने तात्कालिकता खंड का आह्वान किया और इसके तहत जांच को समाप्त कर दिया

धारा 5-ए। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, देरी अपने आप में तेज हो जाती है

तात्कालिकताः जितनी अधिक देरी होगी, उतनी ही अधिक तात्कालिकता होगी। जब तक दलितों की अस्वच्छ परिस्थितियाँ और आवास की दयनीय आवश्यकताएँ,

जनजातियों और गरीबों को न तो हल किया जाता है और न ही पूरा किया जाता है, तात्कालिकता जारी है

जीवित रहने के लिए। जब सरकार सामग्री के आधार पर, [2021] 11 एस. सी. आर.

संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, ने अपनी राय बनाई तात्कालिकता, अदालत, एक अपीलीय मंच नहीं होने के नाते, परेशान नहीं करेगी

निष्कर्ष जब तक कि अदालत निर्णायक रूप से अभ्यास नहीं पाती सत्ता दुर्भावनापूर्ण है। दलितों, जनजातियों को आवास स्थल प्रदान करना और

गरीब अपने आप में एक राष्ट्रीय समस्या और एक संवैधानिक दायित्व है।

जब तक समस्या का समाधान नहीं होता और आवश्यकता पूरी नहीं होती,

तात्कालिकता बनी हुई है। राज्य पैसा खर्च कर रहा है।

जिस दयनीय आवास स्थिति में वे रहते हैं, उसे दूर करने के लिए

बेहतर स्वच्छता के साथ सभ्य आवास प्रदान करना

शर्तें। अधिकारियों की ओर से पूर्व और पूर्व के लिए सुस्ती

अधिसूचना के बाद की देरी से शक्ति का प्रयोग नहीं होगा उस खाते पर अमान्य तात्कालिकता खंड का आह्वान करना।

18. प्रत्येक अधिग्रहण में जनता के लिए अपनी बहुत ही अनिवार्य प्रकृति से

उद्देश्य, मालिक को भूमि से वंचित किया जा सकता है, उसके साधन आजीविका। राज्य अपने प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करता है

सार्वजनिक उद्देश्य और भूमि का अधिग्रहण करता है। जब तक व्यायाम

शक्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, व्यक्ति का मालिक का अधिकार

व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य को स्थान देना चाहिए।

(जोर दिया गया)

15. ओम प्रकाश और अन्न में। बनाम यू. पी. और अन्य (ऊपर) निर्भर थे

अपीलार्थियों द्वारा दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच के वितरण के खिलाफ भूमि मालिकों की शिकायत को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने राजस्थान आवास बोर्ड को प्रतिष्ठित किया

(उपर्युक्त) उक्त निर्णय में अनुच्छेद 14 की सामग्री को ध्यान में रखते हुए और पाया कि उक्त निर्णय न्यायालय के समक्ष मामले के विशिष्ट तथ्यों में दिया गया था। जहां तक पिस्ता देवी (ऊपर) में निर्णय का संबंध है, पीठ ने यह विचार रखा कि पिस्ता देवी में निर्णय गावटे (ऊपर) में पहले के फैसले के विपरीत कोई

कानूनी प्रस्ताव नहीं रख सकता था। यह सच है कि चमेली सिंह (उपरोक्त) मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था।

16. हमें इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो एक

दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने राधेश्याम (ऊपर) में रिपोर्ट की। गावटे, पिस्ता देवी और राजस्थान आवास बोर्डों सहित निर्णयों के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, चमेली सिंह (उपरोक्त), जो दृष्टिकोण की दो धाराओं के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं, ने अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया:

- मिड अली खान (डी) थ्रू एलआरएस। & एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" पैरा 77। विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के विश्लेषण और उनकी व्याख्या से निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला जा सकता हैः

(i) प्रख्यात क्षेत्र प्रत्येक संप्रभु में निहित अधिकार है कि वह नागरिकों की संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए ले। इसे अलग तरह से कहने के लिए, संप्रभु को अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का अधिकार है।

राज्य की मिट्टी के किसी भी हिस्से पर, जिसमें निजी संपत्ति भी शामिल है, उसके मालिक की सहमति के बिना, बशर्ते कि ऐसा दावा सार्वजनिक अनिवार्यता और सार्वजनिक भलाई के कारण हो-द्वारकादास श्रीनिवास बनाम. शोलापुर एसपीजी। और डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 119], चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ [ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41] और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम। गुजरात राज्य [1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 596]।

((ii) राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानून ज़ब्त करने वाले कानून की श्रेणी में आते हैं और ऐसे कानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए-डी. एल. एफ. कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट v. हरियाणा राज्य [(2003) 5 एस. सी. सी. 622]; महाराष्ट्र राज्य बनाम। बी. ई. बिलिमोरिया [(2003) 7 एस. सी. सी. 336] और देव शरण बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(2011) 4 एस. सी. सी. 769: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 483]

(iii) यद्यपि, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए, सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, यह याद रखना चाहिए कि किसी की संपत्ति को अनिवार्य रूप से लेना एक गंभीर मामला है। यदि संपत्ति आर्थिक रूप से संबंधित है

समाज का वंचित वर्ग या अन्य बाधाओं से पीड़ित लोग, तब न्यायालय न केवल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि मालिक के भूमिहीन होने और अपनी आजीविका और/या आश्रय के एकमात्र स्रोत से वंचित होने की संभावना है, अधिक सतर्कता, सावधानी और सावधानी के साथ राज्य की कार्रवाई/निर्णय की जांच करने का हकदार है, बल्कि कर्तव्यबद्ध है।

((iv) किसी नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण राज्य और/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4,5-ए और 6 के अधिदेश का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता है। एक सार्वजनिक उद्देश्य,

यह चाहे कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, यह राज्य को तात्कालिक प्रावधानों को लागू करने का अधिकार नहीं देता है क्योंकि इनका प्रभाव निम्नलिखित है -

बिना सुने संपत्ति के मालिक को उसके अधिकार से वंचित करना। केवल वास्तविक तात्कालिकता के मामले में, राज्य तात्कालिकता [2021] 11 एस. सी. आर. का आह्वान कर सकता है।

भूमि मालिक या अन्य इच्छुक व्यक्तियों को सुनने की आवश्यकता के साथ प्रावधान और वितरण। (v) धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 17 (1) राज्य को धारा 5-ए के अधिदेश का पालन किए बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की असाधारण शक्ति प्रदान करती है। इन प्रावधानों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिग्रहण का उद्देश्य कुछ हफ्तों या महीनों की देरी को रोक नहीं सकता है। इसलिए, धारा 5-ए के आवेदन को हटाने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि कुछ हफ्तों या महीनों का समय लिया जा सकता है।

धारा 5-ए के तहत जांच करना, सभी संभावनाओं में, उस सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

(vi) तात्कालिकता के मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, लेकिन यह धारा 17 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग की पूर्व शर्त है और इसे जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। कि जिस उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की मांग की गई है, वह बिल्कुल भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है या कि दुर्भावना के कारण शक्ति का प्रयोग दूषित हो गया है या कि संबंधित अधिकारियों ने प्रासंगिक कारकों और अभिलेखों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।

(vii) धारा 17 (1) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिनियम की धारा 5-ए का बहिष्कार नहीं होता है, जिसके संदर्भ में भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है और अपनी आपत्ति के समर्थन में सुनवाई का हकदार है। धारा 17 की उप-धारा (4) में "मई" शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि यह केवल सरकार को यह निर्देश देने में सक्षम बनाता है कि -

धारा 5-ए के प्रावधान शामिल मामलों पर लागू नहीं होंगे।

धारा 17 की उप-धारा (1) या (2) के तहत। दूसरे शब्दों में, धारा 17 (4) का आह्वान धारा 17 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग का एक आवश्यक सहवर्ती नहीं है।

(viii) आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को धारा 4 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में ऐसा करता है।

धारा 17 (1) और/या 17 (4) के तहत सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं ठहराता है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत विकास से संबंधित योजनाओं की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन

क्षेत्रों में आमतौर पर कुछ साल लगते हैं। इसलिए, ऐसे उद्देश्य के लिए एल. आर. एस. के माध्यम से हामिद अली खान (डी) का आह्वान करके निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 17 (1) में निहित प्रावधान। किसी भी मामले में, बहिष्करण

धारा 5-ए (1) और (2) में सन्निहित ऑडी अल्टरम पार्टेम का नियम

ऐसे मामलों में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।

(ix) यदि भूमि का अधिग्रहण निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है, तो न्यायालय

धारा 17 (1) और/या 17 (4) के आह्वान को इसके साथ देखना चाहिए

संदेह करें और इससे पहले प्रासंगिक रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करें

इस तरह के अधिग्रहण की वैधता पर निर्णय लेना।

(जोर दिया गया)

17. उक्त मामले में अधिसूचना दिनांक 12.03.2008 पर जारी की गई थी।

अधिनियम की धारा 4 के तहत। प्रस्तावित सार्वजनिक उद्देश्य जिले में नियोजित औद्योगिक विकास परियोजना थी। अदालत ने यह विचार रखा कि भले ही जिले की नियोजित औद्योगिक विकास परियोजना को सार्वजनिक उद्देश्य माना जाता है, लेकिन अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत शक्ति का उपयोग करने को उचित ठहराने की कोई तात्कालिकता नहीं है।

18. आनंद सिंह मामले (ऊपर) में, दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लिए एक आवासीय कॉलोनी के अधिग्रहण के बारे में बात की। अधिसूचना में धारा 4 के तहत जारी किया गया था

2003 और 2004 में। उक्त अधिसूचना द्वारा धारा 17 (4) के तहत शक्ति का उपयोग किया गया था, और घोषणा भी 28.12.2004 पर धारा 6 के तहत जारी की गई थी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का विवाद

यह था कि अधिग्रहित भूमि को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए गए थे, जिसमें पानी, भूमि, बिजली की लाइनें, सीवरेज लाइन, जल निकासी आदि का निर्माण किया गया था और केवल रु। 8 9 करोड़ तक। रुपये की अतिरिक्त राशि। 5 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अदालत ने गावटे, पिस्ता देवी, राजस्थान आवास बोर्ड, चमेली सिंह और ओम को संदर्भित किया

प्रकाश (ऊपर) और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः -

" 41. प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति, जिसमें निहित है

जनहित में या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुछ भी नहीं है प्रतिष्ठित क्षेत्र के अधिकार का प्रवर्तन। भारत में, अधिनियम

उद्देश्य। हालाँकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक नहीं है। अधिकार लेकिन संविधान का अनुच्छेद 300-ए आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति

कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा। कि

अधिनियम की धारा 5-ए किसी व्यक्ति को एक मूल्यवान अधिकार [2021] 11 एस. सी. आर. प्रदान करती है।

किसी भी संदेह से परे। वास्तव में, इस न्यायालय के पास समय है और

पुनः दोहराया कि धारा 5-ए उस व्यक्ति के पक्ष में एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है जिसकी भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की जाती है। 42. जब सरकार अनिवार्य अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ती है

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी विशेष संपत्ति के मालिक या संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति का एकमात्र अधिकार अधिनियम की धारा 5-ए के तहत निर्धारित समय के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करना और राज्य के अधिकारियों को कथित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की अनुपयुक्तता जैसे कारणों को निर्धारित करके उस विशेष भूमि के अधिग्रहण को छोड़ने के लिए राजी करना है।

ऐसी कठिनाइयाँ जो इस तरह के कब्ज़े, सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता आदि के कारण हो सकती हैं।

इसके अलावा, प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज करने के इच्छुक मालिक या व्यक्ति को दिया गया अधिकार न केवल एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार है, बल्कि इसके लिए प्रावधान को अनिवार्य भी बनाता है।

प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के साथ न्यायपूर्ण और अनुरूपता में अधिग्रहण।

43. अधिनियम की धारा 17 में धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने की असाधारण और असाधारण शक्ति प्रदान की गई है, ऐसे मामले में जहां तत्काल या अप्रत्याशित आपात स्थिति में भूमि पर कब्जा करने की आवश्यकता है। इस तरह की शक्ति एक नियमित शक्ति नहीं है और परिस्थितियों को छोड़कर तत्काल अधिकार की आवश्यकता होती है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जांच के साथ वितरण में असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए यह दिशानिर्देश धारा 17 में ही अंतर्निहित है।

धारा 5-ए के तहत। असाधारण शक्ति, अधिक चौकस

सरकार को अपनी कवायद में होना चाहिए। इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से इस पहलू पर धारा 5-ए के तहत जांच करने से पहले अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या ऐसी तात्कालिकता है।

इस तरह की शक्ति का प्रयोग संतुष्ट किया गया है, लेकिन इस तरह की धारणा उन परिस्थितियों से विस्थापित हो सकती है जो स्वयं नहीं हैं उस उद्देश्य के साथ उचित संबंध जिसके लिए शक्ति मध्य अली खान (डी) थ्रू एलआरएस रही है।

& एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [के. एम. जोसेफ, जे.]

व्यायाम किया। शक्ति के उपयोग के लिए चुनौती दिए जाने पर धारा 17, सरकार को उचित सामग्री का उत्पादन करना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष कि जांच के साथ वितरण के लिए राय

धारा 5-ए के तहत सरकार द्वारा नियत समय के बाद गठन किया गया है।

उसके सामने रखी गई सामग्री पर दिमाग का प्रयोग।

46. किन परिस्थितियों में आपातकाल की शक्ति हो सकती है

धारा 17 (2) में निर्दिष्ट हैं लेकिन परिस्थितियाँ

धारा 17 (1) के तहत तात्कालिकता का आह्वान आवश्यक नहीं है

आयोजित नहीं किया जा सकता है और भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों की आपत्तियां माना नहीं जा सकता है। कई मामलों में, सामान्य धारणा पर

धारा 5-ए के तहत जांच पूरी करने में संभावित देरी की संभावना है। वितरण में असाधारण शक्ति के आह्वान के कारण के रूप में

भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ले जाया जा रहा है और उसके साथ कुछ प्रयास जांच हमेशा तेजी से पूरी की जा सकती है।

(जोर दिया गया)

19. इसके बाद, अदालत ने गावते के बीच संघर्ष को देखा

पिस्ता देवी (ऊपर) और निम्नानुसार आयोजितः -

" 47. धारा 17 को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

धारा 5-ए के तहत योग्य और वास्तविक तात्कालिकता के मामलों में जांच।

सरकार को इस तात्कालिकता के पहलू पर अपना दिमाग लगाना होगा

ऐसी प्रकृति का है जिसके तहत जांच के वितरण की आवश्यकता होती है

धारा 5-ए। हम पहले ही इसके कुछ फैसलों पर ध्यान दे चुके हैं।

अदालत। इन दोनों फैसलों में परस्पर विरोधी विचार हैं।

न्यायालय अर्थात। नारायण गोविंद गावटे [(1977) 1 एस. सी. सी. 133: 1977

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 49] और पिस्ता देवी [(1986) 4 एस. सी. सी. 251]। ओम में

प्रकाश [(1998) 6 एस. सी. सी. 1] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पिस्ता में निर्णय

देवी [(1986) 4 एस. सी. सी. 251] को तथ्य की स्थिति तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। उन दिनों जब यह प्रस्तुत किया गया था और दो-न्यायाधीशों की पीठ कर सकती थी

निर्णय के विपरीत कोई प्रस्ताव नहीं रखा है

नारायण गोविंद गावटे [(1977) 1 एस. सी. सी. 133: 1977 एससीसी (सीआरआई) 49] . हम सहमत हैं।

अलग-अलग तथ्य स्थिति के कारण इस पहलू पर मतभेद है उन मामलों में। हमारी राय में इस तरह की देरी का भौतिक असर होगा।

तात्कालिकता शक्ति के आह्वान के प्रश्न पर, विशेष रूप से ऐसी स्थिति जहाँ उपयुक्त द्वारा कोई सामग्री नहीं रखी गई हो

ऐसी प्रकृति जिसके कारण धारा के तहत जांच को समाप्त करना आवश्यक हो गया 5 - ए.

49. हमारे जैसे बड़े देश में, सिर के ऊपर एक छत दूर है।

बड़ी संख्या में लोगों के लिए सपना। शहरी विकास अव्यवस्थित बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना बनाई गई है

विकास और आवास एक विकासशील देश में प्राथमिकता के विषय हैं। राष्ट्र। सवाल यह है कि क्या सभी मामलों में "योजनाबद्ध"

शहर का विकास "या" आवासीय विकास के लिए

क्षेत्र ", तात्कालिकता की शक्ति सरकार द्वारा लागू की जा सकती है

धारा 5-ए के तहत विचार किया गया है जिसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। हम. ऐसा मत सोचिए। चाहे "शहर का नियोजित विकास" या

" आवासीय क्षेत्र का विकास कुछ देरी को रोक नहीं सकता है।

धारा 5-ए के तहत जांच पूरी करने के लिए महीनों? हमारी राय में, आम तौर पर ऐसा हो सकता है। इसलिए सरकार को संतुलन बनाना चाहिए।

अधिनियम और धारा 17 के तहत तात्कालिकता की विशेष शक्ति का सहारा लेना

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले।

" शहर का नियोजित विकास "या" आवासीय विकास के लिए "

असाधारण स्थिति में क्षेत्र।

51. इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि तात्कालिकता की शक्ति का उपयोग

और सरकार द्वारा धारा 5-ए के तहत जांच का वितरण

"शहर के नियोजित विकास" के लिए नियमित तरीके से या " आवासीय क्षेत्र का विकास "और इस प्रकार मालिक को वंचित करना

या धारा 5-ए के तहत किसी बहुत मूल्यवान अधिकार में रुचि रखने वाला व्यक्ति

वैधानिक परीक्षण को पूरा नहीं कर सकते हैं और न ही आसानी से बनाए रखा जा सकता है। ”

(जोर दिया गया)

20. उक्त मामले में अदालत ने अपीलार्थियों को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी

अधिनियम की धारा 48 के तहत एलआरएस के माध्यम से उनके हामिद अली खान (डी) को रिहा करने के लिए राज्य का अधिकार।

& एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [के. एम. जोसेफ, जे.]

21. हरियाणा राज्य में कोई संदेह नहीं है। इरोस सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जब यह निजी हित के साथ टकराव करता है। राज्य और दूसरे प्रत्यर्थी का रुख यह प्रतीत होता है कि दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय, जो पिस्ता देवी (ऊपर) और चमेली देवी (ऊपर) के फैसले से विचलित था, सही ढंग से तय नहीं किया गया था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

22. हम खेल में सिद्धांतों को निकाल सकते हैं। प्राधिकरण के लिए जो आवश्यक है वह एक व्यक्तिपरक राय बनाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि

ऐसी वास्तविक एजेंसी है जो किसी व्यक्ति को अधिग्रहण के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए दिया गया अमूल्य अधिकार अन्यायपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। अधिनियम की धारा 5 ए संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के अधिकार की गारंटी देती है जो उसकी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण को रोकने के लिए एकमात्र वैधानिक सुरक्षा थी। शक्ति के तहत धारा 17 (4) विवेकाधीन है। विवेकाधिकार होने के कारण इसका उपयोग उचित सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह सच है कि यदि कोई प्रासंगिक सामग्री है, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो और प्राधिकरण के पास बाहरी लोगों द्वारा निर्देशित किए बिना है

विचारों ने उनके दिमाग को लागू किया और एक निर्णय लिया, फिर अदालत एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी। किसी भी अन्य निर्णय की तरह अंतिम विश्लेषण में भी परस्पर विरोधी हितों का संतुलन अपरिहार्य है। अधिकारियों को जीवित रहना चाहिए और नागरिकों के पक्ष में बनाए गए बहुमूल्य अधिकार के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो केवल एक खाली अनुष्ठान नहीं है।

23. यह फिर से सच है कि इस न्यायालय के निर्णय व्यक्त करते प्रतीत होते हैं

परस्पर विरोधी संकेत। हालांकि, मौलिक सिद्धांतों पर आम सहमति का एक निश्चित तत्व है। द्विभाजन को अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर हल किया जाना चाहिए। की एक पीठ का निर्णय

गावटे (ऊपर) में तीन न्यायाधीश उस तरीके से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं जिसमें धारा 17 (4) के तहत एक अधिसूचना को चुनौती देने के लिए सबूत के बोझ के निर्वहन के मामले में संपर्क किया जाना चाहिए। जब धारा 17 (4) के तहत शक्ति के आह्वान को चुनौती दी जाती है

रिट आवेदक खाली और गंजे दावों पर सफल नहीं हो सकता है। वे तथ्य जो विशेष रूप से राज्य के अनन्य ज्ञान के भीतर हैं, उन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांत के आधार पर अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए। उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व

धारा 17 (4) का आह्वान एक चुनौती के मद्देनजर स्थापित किया जाना चाहिए। गावटे (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई वास्तविक अवधारणा कुल साक्ष्य सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में, सभी पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की सराहना करने पर अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना खुला है कि धारा 17 (4) के तहत शक्ति का सहारा लेने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे वास्तव में सामान्य नियम के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि संपत्ति का अधिग्रहण प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने का अवसर देने के बाद किया जाता है कि अधिग्रहण अनुचित था।

24. 3.5.2002 पर निर्णय/मद/21 द्वारा आयोजित बैठक में योजना के लिए 52 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था। में।

उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के लिए, दूसरे उत्तरदाता द्वारा 6.6.2003 और 18.6.2003 पर पत्र संबोधित किए गए थे। पत्र 24.9.2003 द्वारा अधिकारी ने प्राधिकरण को अधिग्रहण के लिए राशि जमा करने का निर्देश दिया। 18.7.2003 पर, दूसरे उत्तरदाता ने 52.361 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा और 31.1.2004 पर भूमि के अनुमानित मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत जमा किया। कुछ कमियों को 13.12.2004 दिनांकित पत्र द्वारा इंगित किया गया था। इसके बाद दूसरे उत्तरदाता ने शेष लागत जमा कर दी। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 4 के तहत 8.10.2004 पर अधिसूचना जारी की धारा 17 (4) को भी लागू करना। धारा 6 के तहत घोषणा 7.10.2005 पर प्रकाशित की गई। दिनांकित जारी किए गए एक संचार का अवलोकन

29.3.2006 दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रभारी को संबोधित करना निम्नानुसार दिखाएगाः

" गाटा No.880 और-893 में, पेंथ (मवेशी)

बाजार) जानवरों के लिए रखा जा रहा था, और इसलिए इन गतों को अधिग्रहण से अलग रखा गया है, लेकिन अब इन गतों की दुकानों का निर्माण किया गया है और इन गतों की भूमि आवासीय घरों के लिए बेची जा रही है, इसलिए चूंकि ये संख्याएं योजना के अनुरूप हैं, इसलिए इन गतों की भी आवश्यकता है। एक संशोधित प्रस्ताव
तैयार करने के बाद प्राप्त किया जाएगा।

25. 8.9.2005 पर आयोजित प्राधिकरण की 32 वीं बोर्ड बैठक के आधार पर एक समिति का गठन किया गया था। कथित रूप से योजना के कुल क्षेत्र के बीच में स्थित सर्वेक्षण संख्या 880 और 893 के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया था। 29.05.2006 हामिद अली खान (डी) थ्रू एल. आर. एस. पर आयोजित 33 वीं बोर्ड बैठक के आधार पर।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

दूसरे प्रत्यर्थी के तीसरे प्रत्यर्थी उपाध्यक्ष ने कलेक्टर बुलंदशहर को 6.10.2006 पर लिखा। इसमें, वह दूसरे प्रतिवादी की 33 वीं बोर्ड बैठक का उल्लेख करते हैं जो 29.05.2006 पर आयोजित की गई थी और यह कि अन्य भूमि के अलावा विचाराधीन भूमि अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। आवेदन में 13 दुकानों के बारे में तीसरे प्रतिवादी द्वारा इसका उल्लेख किया गया है, जिसे दिनांक 2.9 का पत्र कहा गया है। 2006 अपीलार्थियों द्वारा लिखित लेख अवैध रूप से बनाए गए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसे आगे इस प्रकार बताया गया हैः

" पेंथ (पशु बाजार) में आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी के लिए कोई शेड, खोर या कुंडिया आदि नहीं हैं। राजस्व अभिलेखों में, उपरोक्त दोनों गतों में पेंथ (पशु बाजार) में प्रवेश करने के बजाय, मोहम्मद के बेटों श्री हामिद अली खान और श्री ज़ाहिद अली खान के नाम हैं। हुसैन अली खान को शामिल किया गया है और यह भी कहा गया है कि उन भूमि को धारा 143 के तहत गैर-कृषि भूमि घोषित किया गया है। 26. इसके बाद 10.10.2006 पर तीसरे उत्तरदाता ने फिर से लिखा

उप सचिव, आवास और शहरी योजना। यह अनिवार्य रूप से 06.10.2006 दिनांकित पत्र की पुनरावृत्ति है। सर्वेक्षण No.880 में मस्जिद और पेट्रोल पंप के क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या 893 में मज़हर के क्षेत्र को अंतिम प्रस्ताव में छोड़ दिया गया है। अंत में यह बताया गया है कि बुलंदशहर में खुर्जा को छोड़कर कई अन्य कस्बा/नगरों में पशु बाजार बहुत बड़े स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। पशु बाजार को 52.361 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र के बीच में बताया गया है। यह विशेष रूप से बताया गया है कि स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी आवासीय क्षेत्र के आवास क्षेत्र के बीच पशु बाजार का काम उचित नहीं होगा। एक और अक्षर 7.1.2007 का संदर्भ है। आई. डी. 1 पर फिर से दूसरे प्रतिवादी के उपाध्यक्ष ने विशेष सचिव को पहले के संचार को दोहराते हुए लिखा। 8.2.2008 पर, उपाध्यक्ष द्वारा यह इंगित किया जाता है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को इसके हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा

योजना। भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना के अनुरोध का संदर्भ दिया जाता है। 8.3.2008 पर विशेष सचिव ने दूसरे प्रतिवादी के उपाध्यक्ष को पत्र लिखा। उन्होंने 19 अक्टूबर, 2001 के सरकारी आदेश के संदर्भ में जानकारी मांगी कि केवल 2.692 की आवश्यकता का उद्देश्य क्या है। आवासीय/वाणिज्यिक योजना के लिए हेक्टेयर भूमि। अपीलार्थी यह इंगित करेंगे कि इसका जवाब उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 27.3.2008 के संचार द्वारा दिया गया था। पुनः, यह अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहा गया हैः

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त पेंथ (पशु बाजार) योजना क्षेत्र के बीच में स्थित है और स्वच्छ वातावरण को देखते हुए,

प्राधिकरण, विचाराधीन भूमि पर केवल एक दिन में पशुओं के लिए पेंथ (पशु बाजार) लगाया जा रहा है। गातास में-प्रश्न मस्जिद के क्षेत्र और। मजार को अधिग्रहण से मुक्त रखा जा रहा है। 27. उपलब्ध कराई गई फाइलों के अवलोकन से पता चलता है कि 14.1.2008 पर, उपाध्यक्ष द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक योजना के विकास के लिए 2.692 हेक्टेयर के अधिग्रहण के औचित्य के बारे में स्पष्टीकरण का संदर्भ है।

देखें। इसके बाद दूसरे प्रत्यर्थी के उपाध्यक्ष के पत्र 8.2.2008 का उल्लेख करते हुए यह पाया जाता है कि भूमि पहले अधिग्रहित भूमि के बीच में स्थित है और उपाध्यक्ष ने अनुरोध किया है कि

यह पाया गया कि अधिग्रहित की जाने वाली कुछ भूमि की छूट के लिए कुछ अनुरोध किया गया था जिसकी सरकार द्वारा जांच की गई थी संलग्न फाइल 2033 एलए/2006। छूट के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रधान सचिव (योजना) ने अस्वीकृति का उल्लेख किया था

छूट के लिए आवेदन और इसलिए मामला रखा गया था धारा 4 (1)/17 के तहत अधिसूचना। उसी दिन, हस्ताक्षर

मंत्री को प्राप्त हुआ। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंत्री ने अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसके बाद इसे जारी किया गया।

11.4.2008 पर।

28. दूसरे प्रत्यर्थी प्राधिकारी की बैठक के कार्यवृत्त

29.5.2006 अन्य बातों के साथ-साथ itemNo.31/3 के तहत निम्नानुसार कहा गया है:

मद सं. (31/3): - प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण योजना के बारे में: – बोर्ड की बैठक में गठित समिति से यह उम्मीद की गई थी कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए "लाभ हानि" को दिखाया जाएगा।

औचित्य, विस्तृत विवरण विकसित प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और अगली बोर्ड बैठक में रखा जाना चाहिए, ताकि बोर्ड के सदस्यों द्वारा इस पर विचार किया जा सके /

बोर्ड की बैठक के समय गठित समिति। कालिंदी कुंज आवासीय योजना, मिड अली खान (डी) थ्रू एल. आर. एस. की 03.12.2005,15.12.2005 और 05.04.2006 पर समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

खुर्जा और परिवहन नगर वाणिज्यिक योजना और गंगा नगर आवासीय/वाणिज्यिक योजनाओं में स्थित बुलंदशहर और योजना से छूट गए गाटा नंबरों का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया।

कि एक भूखंड छोड़ दिया गया है और उस समय कालिंदी कुंज आवासीय योजना अर्थात गाटा संख्या 880, क्षेत्र 1.383 हेक्टेयर और गाटा संख्या 893, क्षेत्र 2.692 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र के साथ, इसके लिए पूरक प्रस्ताव विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बुलंदशहर को भेजा गया है। गंगा नगर आवासीय योजना और परिवहन नगर योजना बुलंदशहर के भूमि अधिग्रहण के लिए धारा-4/17 अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है और इसकी घोषणा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राधिकरण। यह दोनों योजनाओं की अनुपलब्धता और आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया जा सकता है कि एन. सी. आर. योजना बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, इन योजनाओं के लिए मांग सर्वेक्षण कार्य 02.01.06 से 10.02.2006 तक शुरू किया गया था, जिसमें 685 भूखंडों की तुलना में 642 भूखंडों की मांग प्राप्त हुई थी और अनुमानित राशि रु। 2.67 10 प्रतिशत के रूप में करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

पंजीकरण शुल्क। इससे यह पता चलता है कि प्राधिकरण की उपरोक्त योजनाएं प्राधिकरण के लिए बहुत लाभदायक होंगी और व्यापक जनहित में उनका कार्यान्वयन आवश्यक है। इसलिए, इन दोनों योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, योजना के तहत भूमि विकास, जनहित और प्राधिकरण के व्यापक हित के प्रस्ताव में बदलाव भेजे गए हैं। जारी करने का प्रस्ताव

दोनों योजनाओं के लिए धारा 4/17 अधिसूचना के तहत है सरकार का विचार, जिसमें किसी संशोधन/दाग की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए, यह सार्वजनिक रूप से आवश्यक है

प्राधिकरण का हित और व्यापक हित कि सरकारी स्तर पर समन्वय स्थापित करके इन योजनाओं की धारा-4/17 अधिसूचना की घोषणा के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. फाइल टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि 24.3.2009 पर यह देखा गया था कि नियमों के अनुसार धारा 6/17 के तहत अधिसूचना में

के तहत जारी अधिसूचना को देखते हुए 11.4.2009 से पहले जारी किया जाना है 4 (1) / 17 (4) 11.4.2008 पर। दूसरे उत्तरदाता द्वारा जमा किए गए Rs.37,76,711/- का संदर्भ है जो अनावश्यक है।

व्यय, यदि अधिग्रहण समाप्त हो गया हो। उक्त आधार पर यह कहा गया था कि 11.4.2009 से पहले धारा 6/17 अधिसूचना जारी करने की अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद, यह पाया गया कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव संहिता के प्रवर्तन को देखते हुए, अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी थी। धारा 6/17 घोषणा जारी करने के लिए प्रधान सचिव की मंजूरी/हस्ताक्षर प्राप्त करना पड़ता था। इसके बाद धारा 6 के तहत अधिसूचना 9.4.2009 पर जारी की गई।

30. घोषणा के आधार पर, दूसरे प्रतिवादी के अनुसार भूमि का कब्जा 27.7.2009 पर ले लिया गया था और राजस्व अभिलेख में दूसरे प्रतिवादी का नाम दर्ज किया गया था।

31. इस संबंध में, बाजार के स्थान के बारे में रिट याचिका में अपीलार्थियों द्वारा स्थापित विशिष्ट रुख, जिसमें शामिल हैं सर्वेक्षण संख्या। 880/893 , यह इस प्रकार हैः

" कि उपाध्यक्ष ने विशेष सचिव को दिनांकित पत्र के माध्यम से फिर से गलत जानकारी भेजी, कि विवादित भूमि पर 13 घर हैं, जो पूरी तरह से गलत था और फिर से मौके पर स्थिति के खिलाफ था। रिपोर्ट दिनांकित 27.3.2008 की वास्तविक प्रति इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 14 के रूप में दाखिल की जा रही है। कि यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त भूखंड सं। 880 और 893 योजना के केंद्र में स्थित नहीं हैं जैसा कि 6.10.2006 और 10.10.2006 की रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है। वे शहर के एक छोर पर जी. टी. रोड के सामने स्थित हैं और यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा इन भूखंडों पर एक विशाल चारदीवारी खड़ी की जाती है तो उक्त भूखंडों को योजना की विस्तार योजना में बाधा डाले बिना आवासीय क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के खर्च पर एक चारदीवारी बनाने के लिए तैयार हैं यदि उन्हें अनुमति दी जाती है और आश्वासन दिया जाता है कि ऐसा कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा जैसा कि प्रतिवादी संख्या के कार्यालय से जारी पत्र में दर्शाया गया है।

2/3 दिनांकित 10.10.2006।

कि प्रत्यर्थी की लेआउट योजना नं। 2 स्वयं यह दर्शाते हैं कि प्लॉट नं. - 880 एक योजना i.e.Cattle बाजार है और यह तथ्य एलआरएस के माध्यम से हामिद अली खान (डी) से भी साबित होता है।

& एएनआर। वी. यू. पी. और ओ. आर. एस. राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि प्रत्यर्थी की लेआउट योजना नं। 2 यह भी पता चलता है कि प्रश्नों में भूखंडों के अंत का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया है-पूरी लेआउट योजना, पूरी वाणिज्यिक गतिविधियों में पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ प्रक्षेपित किया गया। आवासीय

योजना का क्षेत्र इस वाणिज्यिक क्षेत्र के पीछे है।

32. दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। पैराग्राफ 23,24 और 27 में अपीलार्थियों द्वारा स्थापित मामले का कोई विशिष्ट खंडन नहीं है। यदि अप्रमाणित आरोपों पर ऐसा है तो एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्यर्थियों द्वारा स्थापित मामला कि संपत्तियां

योजना क्षेत्र के बीच में स्थित होने का सवाल गलत है।

33. हमें कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। धारा 17 (4) और यहां तक कि धारा 6 घोषणा के तहत विवादित अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि विचाराधीन भूमि को बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के सार्वजनिक उद्देश्य या कालिंदी कुंज आवासीय/वाणिज्यिक (पूरक) के लिए आवश्यक होने के रूप में पढ़ा जाता है। यह आगे पढ़ा जाता है कि जैसा कि राज्यपाल की महान आवश्यकता के बारे में आश्वस्त था

भूमि और अधिनियम की धारा 17 (1) का प्रावधान लागू होने के कारण और आवश्यकता को देखते हुए, धारा 5 ए के तहत जांच इस आधार पर लागू नहीं की गई थी कि 'देरी की संभावना को छोड़ दिया जा सकता है'। यह भी कहा गया है कि कालिंदी कुंज आवासीय/वाणिज्यिक योजना के लिए भूमि की आवश्यकता है। संशोधित रूपरेखा योजना के अवलोकन से पता चलता है कि यह योजना एक आवासीय सह वाणिज्यिक योजना थी। इसमें उद्यान, सामुदायिक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, डाकघर, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र और शैक्षिक केंद्र शामिल थे। आवासीय क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि को योजना के क्षेत्र का 38.57% के रूप में दिखाया गया है। योजना के वाणिज्यिक हिस्से में योजना के कुल क्षेत्र का 4.9 प्रतिशत शामिल होना था। हम यह अवलोकन अपने निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए करते हैं कि यह योजना शुद्ध आवासीय योजना नहीं है। दूसरा, केवल एक मामला जो उत्तरदाताओं के पास आगे है, वह यह है कि एक योजना के तहत 5 प्रतिशत भूखंड भूमिहीनों के लिए आरक्षित हैं। इसलिए, यह तथ्य उस योजना के बिल्कुल विपरीत हो सकता है जो चमेली सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़ी थी, जिसमें दलितों के लिए घर बनाने के लिए भूमि के लिए धारा 17 (4) के तहत शक्ति का उपयोग किया गया था। शुरू में, विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं था। अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि 52 और विषम हेक्टेयर निर्धारित की गई थी।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. दूसरे प्रत्यर्थी प्राधिकरण से दिनांकित 29.3.2006 संचार के अवलोकन से पता चलता है कि इसके अनुसार, सर्वेक्षण संख्या।

880 और 893 का उपयोग पशु बाजार रखने के लिए किया जा रहा था और इसलिए भूमि की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह पाया गया कि सर्वेक्षण में 13 दुकानों का निर्माण किया गया था और इन सर्वेक्षण में भूमि को आवासीय घर के लिए बेचा गया था। योजना क्षेत्र से सटे होने के कारण, इन भूमि को एक संशोधित प्रस्ताव तैयार करने पर आवश्यकता के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। हालाँकि, तीसरे उत्तरदाता द्वारा जारी दिनांक 06.10.2006 संचार में उन्होंने स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता का उल्लेख किया है और इसलिए आवास क्षेत्र में पशुओं का पशु बाजार उचित नहीं हो सकता है। उसी स्थिति को फिर से दोहराया गया है जैसा कि पहले से ही दिनांकित 10.10.2000 में भी उल्लेख किया गया है। अपीलकर्ताओं ने मुख्य सचिव को 08.12.2006 पर एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि संपत्ति नहीं हो सकती है

आवासीय/वाणिज्यिक योजना के लिए लिया गया। इसमें, यह अन्य बातों के साथ कहा गया है कि पशु बाजार 52.361 हेक्टेयर की अधिग्रहित भूमि के एक कोने में स्थित है। अपीलार्थी एक अलग चारदीवारी के निर्माण के लिए अपनी तैयारी के बारे में बताते हैं। इसे उनकी आय का एकमात्र स्रोत बताया जाता है। 35. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 6 के तहत घोषणा केवल 11.4.2008 से एक वर्ष की समाप्ति की पूर्व संध्या पर जारी की गई थी। फाइल में इंगित तात्कालिकता यह है कि धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने की सीमा को 11.4.2008 से एक वर्ष के बाद खत्म किया जाए।

4/17 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। धारा 4 के तहत अधिसूचना के तुरंत बाद घोषणा जारी करने की तात्कालिकता के बारे में फाइल में कोई संकेत नहीं है। दूसरे शब्दों में, फ़ाइल किसी भी तात्कालिकता को प्रकट नहीं करती है तत्काल भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता से संबंधित सभी जो तात्कालिकता खंड को लागू करने के लिए आधार का गठन करते हैं।

36. हम इस बात से वंचित हैं कि वह कौन सी सामग्री थी जो अधिनियम की धारा 17 (4) के तहत निर्णय के लिए प्रासंगिक थी। इस संबंध में हम निम्नलिखित पर ध्यान दे सकते हैं:

अक्टूबर 2004 में धारा 17 (4) के तहत 52 और विषम हेक्टेयर भूमि के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। धारा 6 की घोषणा केवल अक्टूबर 2005 में की गई है। प्रतिवादी के अनुसार इस मामले में विचाराधीन सर्वेक्षण संख्याएँ बीच में स्थित हैं। हालांकि, यह

इस आधार पर अधिग्रहण नहीं किया जाता है कि उक्त भूमि का उपयोग पशु बाजार के रूप में किया जा रहा था (दिनांक 29.3.2006 का संचार देखें)। अपीलार्थियों का एक निश्चित मामला है कि तुरंत कब्जा करने की शक्ति की उपलब्धता के बावजूद कब्जा ही ले लिया गया था, केवल 6.1.2006 पर। हामिद अली खान (डी) थ्रू एल. आर. एस. में आगे की भूमि लेने का प्रस्ताव लिया गया था।

& एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [के. एम. जोसेफ, जे.]

मार्च, 2006 यदि पहले नहीं। भूमि अधिग्रहण के लिए दिया गया कारण अपीलार्थियों द्वारा दुकानों का कथित निर्माण और पहले अधिग्रहित भूमि के साथ विचाराधीन भूमि की निकटता है। दूसरी ओर, तीसरा प्रतिवादी आगे स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता को संदर्भित करता है जो इसके विपरीत है

दिनांकित संचार 29.3.2006।

37. इस मामले के उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह यह पता लगाना है कि

निम्नलिखितः

(1) क्या धारा 17 (4) के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए सरकार के समक्ष प्रासंगिक सामग्री थी?

(2) अंत में, क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया?

38. हमने उस सामग्री को देखा है जिसमें शामिल हैं

तीसरे उत्तरदाता द्वारा संचार। इसके अलावा, सामान्य प्रमाण पत्र/प्रपत्र अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाते हैं कि कोई पूजा स्थल नहीं था योजना में स्थित होने में कोई संदेह नहीं था। लेकिन मुद्दा केवल यह है कि क्या धारा 5ए के तहत जांच करने के लिए सामग्री थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्राधिकरण ने इस पर अपना दिमाग लगाया। यहां तक कि धारा 17 (4) के तहत अधिसूचना मार्च, 2006 में भेजे गए प्रस्ताव के दो साल से अधिक समय के बाद जारी की गई, यदि

पहले नहीं। हम पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दे चुके हैं कि धारा 6 के तहत घोषणा केवल धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख की पहली वर्षगांठ से ठीक दो दिन पहले 9.4.2009 पर जारी की गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा है कि अंततः सरकार को क्या जारी करने के लिए प्रेरित किया

अधिसूचना, अर्थात्, यह आशंका कि यदि इसे धारा 4 की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो अधिग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसका तात्कालिकता से कोई लेना-देना नहीं था जो बहुत पहले जारी की जा रही धारा 6 की घोषणा में प्रकट होता। इसे इस पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए कि हालांकि धारा 4 (1)/(17) अधिसूचना पहले 52.361 हेक्टेयर के संबंध में 08.10.2004 पर जारी की गई थी, लेकिन धारा 6 के तहत घोषणा केवल 07.10.2005 पर जारी की गई थी। 39. अधिनियम की धारा 5ए के तहत सांविधिक प्राधिकरण से निष्पक्ष सुनवाई करने की उम्मीद है। यह एक अनावश्यक प्रस्ताव के बीच खड़ा हो सकता है

संपत्ति अर्जित करें। संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर उसी प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है। फिर भी एक और प्रासंगिक पहलू यह तथ्य है कि दूसरे [2021] 11 एस. सी. आर. की विषय वस्तु।

अधिग्रहण 2 और विषम हेक्टेयर था। जाहिरा तौर पर केवल अपीलार्थी ही थे, जिन्हें सुनवाई देनी थी।

40. इसलिए हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों में,

योजना की प्रकृति, जिस विलंब के साथ धारा 6 की घोषणा जारी की गई थी, कब्जा लिया गया था और उस सामग्री की प्रकृति के संबंध में जिसके आधार पर प्रस्ताव को संसाधित किया गया था, अपीलार्थी हैं:

यह तर्क देते हुए कि धारा 5 ए के तहत जांच के साथ 17 (4) के तहत अधिसूचना अनुचित थी।

41. हम एक और पहलू देख सकते हैं। यह अपील वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होती है। नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने एसएलपी चरण में 6.11.2009 पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बाद, 27.1.2012 पर छुट्टी दी गई। हालाँकि अंतरिम आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया था। लगभग 12 वर्षों के बाद आखिरकार मामले का निपटारा किया जा रहा है। इस बीच, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू हो गया। इसलिए, धारा 5 ए के तहत जांच के लिए मामले पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने यह भी नोट किया है कि संपत्ति के झूठ के बारे में रिट याचिका में आरोप का कोई खंडन नहीं है, अर्थात। , यह योजना क्षेत्र के बीच में नहीं है।

42. अपील की अनुमति है। विवादित निर्णय को खारिज कर दिया जाता है और अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जाएगी और उसी के आधार पर विवादित अधिसूचनाएं और कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी। संपत्ति अपीलार्थियों को वापस कर दी जाएगी। यह कानून के तहत उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध अधिकारों/शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।

अ

पील की अनुमति दी गई।

निधि जैन